भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3082

(जिसका उत्तर मंगलवार, 28 मार्च, 2023 को दिया गया)

सीएसआर फंड की निगरानी

3082. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों की देखरेख के लिए कोई पर्यवेक्षी निकाय है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सी कंपनियां कागजों में दिखाने के अलावा जमीनी स्तर पर सीएसआर निधियां खर्च नहीं करती हैं; और

(ग) इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): जी, नहीं। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है।

(ख) और (ग): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में प्रतिवर्ष सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करना अपेक्षित है। कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा के साथ-साथ मौजूदा विधिक प्रावधान जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि इस संबंध में सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के किसी उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो ऐसी गैर-अनुपालनकर्ता कंपनियों के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्ड की जांच करने और कानून की सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद कार्रवाई शुरू की जाती है। इसके अतिरिक्त, 22 जनवरी, 2021 को अधिसूचित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में संशोधन से अधिक निष्पक्षता, पारदर्शिता लाकर, बोर्ड को अधिक जिम्मेदारी सौंपकर और कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण का विस्तार करके सीएसआर इको-सिस्टम को सुदृढ़ किया गया है।

****